राजस्व अपील संख्या 309 / 2023

अनवान

राणाराम बनाम राज0 सरकार

दिनांक 10.08.2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 22 / 2023 अनवान तहसीलदार सेखाला बनाम समस्त ग्राम अजीतगढ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। श्री भंवराराम पुत्र भूराराम निवासी– अजीतगढ तहसील सेखाला की ओर से श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता के द्वारा केविएट पेश किया गया ।

अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से उपस्थित दोनों अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील बाबत की गई बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2023 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, बालेसर जिला जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार, सेखाला से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच की जाकर मौका नक्शा व मौका फर्द तलब की जावे तत्पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर